न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना, जिला–भरतपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी–सुनील आर्य(आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर 05/2019

1– हरिओम उम्र 25 वर्ष पुत्र स्व. जगन, जाति गूजर, निवासी परौआ, तहसील–बयाना, जिला– भरतपुर (राज.)

2– कम्पूरी उम्र 36 वर्ष पुत्री स्व. जगन, पत्नि बलवीर, जाति गूजर, निवासी परौआ, तहसील–बयाना, हाल निवासी शाहपुर, तहसील वाडी, जिला–धौलपुर

3– राजवती उम्र 32 वर्ष पुत्री स्व. जगन, पत्नि भूरा, जाति–गूजर, निवासी परौआ, तहसील– बयाना, हाल निवासी ग्राम अड्डा, तहसील– बयाना, जिला– भरतपुर (राज.)

––अपीलान्ट्स

(बनाम)

1– ग्राम पंचायत परौआ, जरिये सरपंच, पंचायत समिति– बयाना।

2– गुडडी उम्र 20 वर्ष पुत्री स्व. जगन, पत्नि रामदयाल, जाति गूजर निवासी परौआ, हाल निवासी गाँव अडडा तहसील–बयाना, जिला–भरतपुर (राज.)

3– वीरवती उम्र 34 वर्ष पुत्री स्व. जगन, पत्नि रामनिवास, जाति गूजर निवासी परौआ, हाल निवासी गाँव अडडा तहसील–बयाना, जिला–भरतपुर (राज.)

4– जयश्री उम्र 40 वर्ष पुत्री स्व. जगन, पत्नि रामवरन, जाति गूजर, निवासी परौआ, हाल निवासी शाहपुर, तहसील–वाडी, जिला–धौलपुर (राज.)

5– मातादीन उम्र 22 वर्ष पुत्र स्व. जगन, जाति– गूजर, निवासी परौआ, तहसील–बयाना, जिला– भरतपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:36:10 IST
Reason: SelfAttested

6– शकुन्तला उम्र 65 वर्ष पत्नि स्व जगन, जाति– गूजर, निवासी परौआ, तहसील–बयाना, जिला– भरतपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

7– सीताराम उम्र 38 वर्ष पुत्र स्व. जगन, जाति– गूजर, निवासी परौआ, तहसील–बयाना, जिला– भरतपुर (राज.)

–– असल–रैस्पौडेन्ट्स

8– गज्जो उम्र 48 वर्ष पुत्र दामोदर
9– बाबू उम्र 50 वर्ष पुत्र दामोदर
10– भरती उम्र 52 वर्ष पुत्र दुल्ली
11– छीतर उम्र 70 वर्ष पुत्र गिर्राज
12– दीवानसिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र यादराम
13– प्रेमसिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र यादराम
14– भौती उम्र 65 वर्ष पत्नी यादराम
15– मुकट उम्र 28 वर्ष पुत्र भगवानसिंह
16– मनोज उम्र 18 वर्ष पुत्र भगवानसिंह
17– मल्ला उम्र 22 साल पुत्री भगवानसिंह
18– राधेश्याम उम्र 35 वर्ष पुत्र भगवानसिंह
19– रामदुलारी उम्र 45 साल पुत्री दामोदर
20– रामरती उम्र 48 साल पुत्री दामोदर
21– रामा उम्र 25 साल पुत्री भगवानसिंह
22– वकील उम्र 40 वर्ष पुत्र यादराम
23– सरोज उम्र 50 वर्ष पत्नी भगवानसिंह
24– हरीराम उम्र 22 वर्ष पुत्र यादराम

सभी जाति गुर्जर निवासी परौआ, तहसील–बयाना, जिला– भरतपुर (राज.)

–– शोभनार्थ प्रतिवादीगण

अपील, विरुद्ध आदेश तारीखी 14–03–2015
ग्राम पंचायत प[illegible] सिलसिलेदाखिल
खारिज संख्या [illegible] परौआ तहसील बयाना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

निर्णय दिनांक 02/11/2020

उपस्थिति– 1. श्री भगवानसिंह गुर्जर एडवोकेट अपीलान्ट
2. श्री अतरसिंह कैन एडवोकेट रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 7

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम परौआ ग्राम पंचायत परौआ के दाखित खारिज संख्या 584 निर्णय दिनांक 14.03.2015 के विरूद्व पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम परौआ में जगन पुत्र नीके जाति–गूजर निवासी परौआ तहसील बयाना की आराजीयात खाता संख्या 414, 415, 257, 265 सम्वत् 2076–2079 वाकै ग्राम परौआ तहसील बयाना में स्थित है। जिसमें जगन की मृत्यु हो चुकी है और ग्राम पंचायत परौआ द्वारा मृतक जगन की विरासत का दाखिल खारिज संख्या 584 दिनांक 14–03–2015 को तस्दीक कर मंजूर कर दिया है जिसमें मृतक जगन के विधिक वारिसानों के नाम विरासतीय दाखिल खारिज खोल दिया जाकर मंजूर कर दिया है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा दाखिल खारिज संख्या 584 दिनांक 14–03–2015 में अपीलाण्ट्स के मुहवोले घर के नाम अंकित कर दिये है जवकि अपीलाण्ट्स के राजकीय कागजात व दस्तावेजों में सही नाम अंकित है। ग्राम पंचायत परौआ द्वारा हरिओम के स्थान पर ओमी, कम्पूरी के स्थान पर कम्पोटर, राजवती के स्थान पर रज्जो दर्ज कर मंजूर कर दिये है जो घर के मुहवोले नाम है। अपीलाण्ट्स के सही नाम हरिओम, कम्पूरी, राजवती की जानकारी किये बिना ही सुयोग्य ग्राम पंचायत द्वारा दाखिल खारिज संख्या 584 वाकै परौआ में अपीलाण्ट्स के नाम ओमी, कम्पोटर, रज्जो दर्ज कर दिये है जो गलत है इसलिए दाखिल खारिज संख्या 584 मे हो रही त्रुटि को सही करने का निवेदन किया है। साथ ही यह भी अंकित किया है कि सुयोग्य ग्राम पंचायत परौआ द्वारा दाखिल खारिज संख्या 584 ग्राम परौआ के सजरा की जानकारी किये बिना ही दाखिल खारिज स्वीकार करने में भारी त्रुटि की है। अपीलाण्ट्स को दाखिल खारिज संख्या 584 ग्राम परौआ में ओमी, कम्पोटर, रज्जो दर्ज होने की जानकारी दिनांक 18–05–2019 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त करने पर हुई। अपील देरी के लिये प्रार्थना धारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

दिनांक 14–03–2015 को तस्दीक कर मंजूर कर दिया है जिसमें मृतक जगन के विधिक वारिसानों के नाम विरासतीय दाखिल खारिज खोल दिया जाकर मंजूर कर दिया है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा दाखिल खारिज संख्या 584 दिनांक 14–03–2015 में अपीलाण्ट्स के मुहवोले घर के नाम अंकित कर दिये है जबकि अपीलाण्ट्स के राजकीय कागजात व दस्तावेजों में सही नाम अंकित है। ग्राम पंचायत परौआ द्वारा हरिओम के स्थान पर ओमी, कम्पूरी के स्थान पर कम्पोटर, राजवती के स्थान पर रज्जो दर्ज कर मंजूर कर दिये है जो घर के मुहवोले नाम है। अपीलाण्ट्स के सही नाम हरिओम, कम्पूरी, राजवती की जानकारी किये बिना ही सुयोग्य ग्राम पंचायत द्वारा दाखिल खारिज संख्या 584 वाकै परौआ में अपीलाण्ट्स के नाम ओमी, कम्पोटर, रज्जो दर्ज कर दिये है जो गलत है इसलिए दाखिल खारिज संख्या 584 मे हो रही त्रुटि को सही करने का निवेदन किया है। साथ ही यह भी अंकित किया है कि सुयोग्य ग्राम पंचायत परौआ द्वारा दाखिल खारिज संख्या 584 ग्राम परौआ के सजरा की जानकारी किये बिना ही दाखिल खारिज स्वीकार करने में भारी त्रुटि की है। अपीलाण्ट्स को दाखिल खारिज संख्या 584 ग्राम परौआ में ओमी, कम्पोटर, रज्जो गलत दर्ज होने की जानकारी दिनांक 18–05–2019 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त करने पर हुई। अपील देरी के लिये प्रार्थना धारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगायत 24 को सह खातेदार होने के कारण पक्षकार मुकदमा अपील बनाया गया है। इनके विरुद्ध कोई दादरसी नही चाही गई है।

अन्त में अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार कर दाखिल खारिज संख्या 584 ग्राम परौआ में हो रही त्रुटि ओमी के स्थान पर हरिओम, कम्पोटर के स्थान पर कम्पूरी और रज्जो के स्थान पर राजवती दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की ओर से श्री अतरसिंह कैन एडवोकेट दिनांक 10.10.2019 को जरिये वकालत नामा उपस्थित हुये साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त तिथि को न्यायालय हाजा उपस्थित हुये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:36:10 IST
Reason: SelfAttested

Joshi ji Potrait

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 को इकबाल अपील पेश कर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार करने में अपनी सहमति दी है। अपीलाण्ट्स के अभिभाषक द्वारा दिनांक 29.10.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 24 के विरुद्ध किसी प्रकार की दादरसी नही चाहने पर रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 24 को अपील से तर्क करने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगायत 24 को अपील से तर्क किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक गणों को सुना। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार करने का निवेदन किया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 भी अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार करने में सहमत है।

हमने विद्वान अभिभाषक गणों को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख, दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दाखिल खारिज संख्या 584 निर्णय दि. 14.03.2015 के प्रमाणित नकल अनुसार मृतक जगन के वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण में मृतक जगन के वारिसान का सजरा भी अंकित है। नामान्तकरण में दर्ज वारिसान का जमाबन्दी संवत् 2073—76 में अंकन हुआ है। अपीलाण्टों द्वारा पत्रावली में संलग्न आधार कार्डों में अपीलाण्टों का नाम हरिओम, कम्पूरी, राजवती के नाम अंकित है। अपीलाण्ट दाखिल खारिज संख्या 584 में ओमी के स्थान पर हरिओम, कम्पोटर के स्थान पर कम्पूरी एवं रज्जो के स्थान पर राजवती शुद्ध करना चाहते हैं। यह सही है कि सुयोग्य ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 584 को स्वीकृत करने से पूर्व मृतक जगन के वारिसान की विधिवत जांच नहीं कर अपीलान्टो के मुंहबोले नाम से नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकृत करने में भारी कानूनी भूल की है। जबकि सुयोग्य ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व मृतक जगन के वारिसान की विधिवत जांच करनी चाहिए थी। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 584 बाके ग्राम परौ[illegible] निर्णय दिनांक 14.03.2015 खारिज किया जाता है। प्रकरण [illegible] दार बयाना इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता [illegible] के विधिक वरिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:36:30 IST
Reason: SelfAttested

Joshi ji Potrait

की विधिवत जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। तहसीलदार बयाना को निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सुनील आर्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)
उपखण्ड अधिकारी बयाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:36:10 IST
Reason: SelfAttested

Joshi ji Potrait